राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2115/2014/अजमेर

मैसर्स कृष्णा फ्यूल, ... अपीलार्थी.
बिजयनगर, अजमेर।

बनाम

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, ... प्रत्यर्थी
करापवंचन, बांसवाडा।

एकलपीठ

श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक, अभिभाषक .... अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .... प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30.11.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 25.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, करापवंचन, बांसवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 09.07.2013 के जरिये कायम की गयी शास्ति रूपये 43,256/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जांच अधिकारी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–II, बांसवाडा द्वारा रतनपुर, डुंगरपुर पर उक्त वाहन की चैकिंग की गई। करापवंचन का वाद दर्ज करने के पश्चात प्रकरण नियमानुसार सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित किया गया। सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उक्त वाहन में लदे माल पोलिस्टर यार्न के समर्थन में बिल्टी प्रस्तुत नहीं की तथा बिल नं 1304110681 दिनांक 07.05.2013 जो करीब दो माह पुराना था, जो कि धारा 76(2) का उल्लंघन है। सुनवाई का उचित अवसर देते हुए, उक्त कमियों/अनियमितताओं के लिये अपीलार्थी पर धारा 76(6) के तहत माल कीमतन 1,44,187/– रूपये पर 30 प्रतिशत शास्ति आरोपित की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार..........2

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि वक्त निरीक्षण माल दिनांक 07.05.2013 को खरीदना बताया तथा माल की छटांई न होने से वाहन नहीं मिल पाने की वजह से माल को नहीं उठा पाये तथा बिल्टी को भूलवश कार्यालय में छोड़ना बताया। वाहन चालक कम पढ़–लिखा होने के कारण माल का इन्द्राज गुजरात चैक पोस्ट से नहीं करा सका। माल की उपलब्धतानुसार वाहन न मिल पाने के कारण खरीद स्थल पर ही खड़ा रहना बताया। माल की कीमत (पोलीस्टर यार्न) रूपये 1,44,187/– थी, प्रस्तुत दस्तावेजों से सत्यापित थी, किसी भी प्रकार का कोई भी बोगस या गलत या कूटरचित दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। धारा 76(6) के तहत शास्ति धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आरोपित की जाती है, अपीलार्थी ने धारा 76(2)(बी) के तहत वांछित समस्त दस्तावेज, घोषणा पत्र, वक्त जांच प्रस्तुत कर दिये थे। मात्र कतिपय सूचनाऐं नहीं होने से करने के आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित है। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि वक्त चैकिंग बिल्टी प्रस्तुत नहीं की, जो कि धारा 76(2) का उल्लंघन है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। वक्त चैकिंग वाहन के साथ बिल दिनांक 07.05.2013 का होना तथा माल का परिवहन दिनांक 08.07.2013 को किया जाना इस अवधि के बीच की लगभग दो माह की देरी वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण देरी से माल की खरीद स्थल से उठाया जाना निःसन्देह अपीलार्थी व्यवहारी का कृत्य धारा 76(2) का उल्लधंन किया जाना प्रमाणित होता है। परिवहनित माल बिल विभागीय पत्रावली पृष्ठ–10 मौजूद है। Tax Invoice में Time of removel 17.30 date 07.05.2013 बिल में स्पष्ट रुप से अंकित है :- "Invoice for removal of Excisable Goods from Factory" व्यवहारी का कथन है कि वाहन नहीं मिल पाने की वजह बताये जाने के बिन्दु को स्वीकार किया जाना अविधिक है। परिवहनित माल के संलग्न बिल लगभग दो माह पुराना होना निसन्देह दोहरा दुरुपयोग होना पाया जाता है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2014 की एतदद्वारा पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य